उद्योग मित्र

उद्योग विभाग, बिहार, पटना

मासिक/दैनिक भाड़े पर उद्योग मित्र, उद्योग विभाग में वाहन आपूर्ति हेतु निविदा सूचना

उद्योग मित्र, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के विभागीय पदाधिकारियों के उपयोग के लिए मासिक भाड़े पर वाहन एवं समय-समय पर On Call Basis पर दैनिक भाड़े पर वाहन, जिनका निबंधन वाणिज्यिक वाहन के रूप में हो, की आपूर्ति हेतु निबंधित संस्थानों/फर्मो से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 18.09.2019 के अपराह्न 5:00 बजे तक निबंधित/स्पीड पोस्ट/या हाथों-हाथ उद्योग मित्र के डाक प्राप्ति शाखा में किसी भी कार्य दिवस को समर्पित किया जा सकेगा। प्राप्त निविदाओं को दिनांक-19.09.2019 के अपराह्न 3:00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में देना होगा। निविदा की शर्तें उद्योग मित्र के वेबसाइट www.udyogmitrabihar.com पर या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किया जा सकता है। जमानत की राशि रू0 25,000/- (पच्चीस हजार रूपये) मात्र को डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में उद्योग मित्र, पटना के नाम से देय हो, तकनीकी निविदा के साथ जमा करना होगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
उद्योग मित्र, उद्योग विभाग
इंदिरा भवन, भूतल, आर0सी0एस0 पथ
पटना-800001

तकनीकी निविदा की शर्तें :

1. निविदादाता को कम से कम एक वर्ष तक केन्द्र/राज्य सरकार/अर्द्धसरकारी संस्थान/निगम आदि में समान प्रकृति का कार्यानुभव होना अनिवार्य है।
2. निविदादाता फर्म/संस्थान GST के अंतर्गत निबंधित होना चाहिए।
3. निविदादाता निम्न कागजात के स्वअभिप्रमाणित प्रति क्रमानुसार तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करेंगे।
   - i. 25,000/– रूपया का बैंक ड्राफ्ट जो "उद्योग मित्र" पटना के पक्ष में देय हो।
   - ii. GST निबंधन की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
   - iii. GST के जून, 2019 के रिटर्न्स (GST Returns for June, 2019) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
   - iv. PAN कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
   - v. वित्तीय वर्ष 2017–18 या 2018–19 के लिए दाखिल किये गये आयकर विवरणी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
   - vi. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम/निगम या किसी भी अन्य संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होने का Notarized Affidavit.
   - vii. संस्थान द्वारा निविदा में दशार्यें गये सभी शर्तो को स्वीकार करने से सम्बंधित स्वघोषणा पत्र।
4. सभी पृष्ठों पर संस्थान का मुहर एवं हस्ताक्षर होना चाहिए।

   निविदादाता तकनीकी निविदा से संबंधित सभी कागजात एक लिफाफा में रखकर उसे सीलबंद करते हुए लिफाफा के ऊपर "उद्योग मित्र में वाहन आपूर्ति हेतु तकनीकी निविदा" लिखेंगे एवं निविदा का प्रारूप 'क' में दर वर्णित कर इसे एक दूसरे लिफाफा में रखकर सीलबंद करते हुए लिफाफा के ऊपर "उद्योग मित्र में वाहन आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा" लिखेंगे, तत्पश्चात् तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का अलग–अलग लिफाफा एक बड़े लिफाफा में डालकर उसे सीलबंद करते हुए बड़े लिफाफा के ऊपर " उद्योग मित्र में वाहन आपूर्ति हेतु निविदा" अंकित करेंगे एवं बड़े लिफाफा के दाहिने तरफ पता मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, उद्योग विभाग, इंदिरा भवन, भूतल, आर० सी० एस० पथ, पटना–800001 एवं बायें तरफ में फर्म का नाम अंकित करेंगे।
5. निविदादाता सीलबंद निविदा इस तरह भेजेंगे कि प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय तक डाक प्राप्ति शाखा में निविदा प्राप्त हो जाए। अंतिम तिथि एवं समय के उपरान्त प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
6. निविदादाता उद्योग मित्र के डाक प्राप्ति शाखा में अंतिम तिथि एवं समय तक हाथों–हाथ भी निविदा जमा कर सकते हैं।

7. उद्योग मित्र के पास निविदा रद्द करने, नियम एवं शर्तों को बदलने एवं इस निविदा से संबंधित हर तरह के निर्णय लेने का सर्वाधिकार सुरक्षित है।

8. किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा पटना जिला स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

वाहन आपूर्तिकर्त्ता के दायित्व :-

1. संविदा के अनुरूप वाहन आपूर्तिकर्त्ता गुणवत्ता पूर्ण सेवा दिये जाने पर सहमत होंगे।
2. संविदा के अनुरूप वाहन आपूर्तिकर्त्ता सुनिश्चित करेंगे कि वाहन एवं चालक की सेवा उद्योग मित्र या उसके पदाधिकारी/कर्मी को प्रतिदिन अथवा आवश्यकता पड़ने पर निश्चित किये गये समय पर उपलब्ध करायेंगे। 15 मिनट से ज्यादा का विलंब होने पर विभाग को अधिकार होगा कि वो अन्य वाहन की सेवा ले लेंगे।
3. वाहन आपूर्तिकर्त्ता संविदा में लिखित शर्तों का पूर्णतः पालन करेंगे।
4. वाहन आपूर्तिकर्त्ता किये गये वाहन का Maintenance एवं Servicing Duty Hours के बाद अथवा अवकाश के दिनों में विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत करेंगे।
5. वाहन आपूर्तिकर्त्ता, आपूर्ति किये गये वाहन को नियत स्थान एवं समय पर इंधन की टंकी फुल करके भेजेंगे।
6. वाहन के किसी भी ब्रेक डाउन, रख-रखाव एवं अनुरक्षण की स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा अपने खर्च पर दूसरी व्यवस्था कर उसी मापदंड का वाहन विभाग को उपलब्ध करायेंगे। उक्त स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसा सुनिश्चित किए जाने की स्थिति में विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था करने में जो खर्च करना पड़ेगा उसकी वसूली वाहन आपूर्तिकता से की जाएगी।
7. वाहन आपूर्तिकर्त्ता केवल Comprehensive Insurance वाले वाहन की ही सेवा प्रदान करेंगे।
8. वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए चालक उत्तम चरित्र के होने चाहिए। यह सुनिश्चित करना वाहन के आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी होगी।
9. वाहन आपूर्तिकर्त्ता/चालक द्वारा लॉग बुक में प्रतिदिन आरंभिक कि० मी०, अंतिम कि०मी०, परिचालित दूरी अंकित करके वाहन को Use करने वाले पदाधिकारी/कर्मी से हस्ताक्षर तुरन्त प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं करने पर Penal Provision Impose किया जायेगा।
10. वाहन आपूर्तिकर्त्ता गुणवत्ता पूर्ण सेवा प्रदान करेंगे।
10. वाहन का निबंधन बिहार राज्य में व्यवसायिक वाहन के रूप में होना चाहिए।
11. आपूर्ति किये गये वाहन अच्छे स्थिति (Good Condition) में होने चाहिए। वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किराये पर दिये जाने वाले वाहन के पास वैध निबंधन प्रमाण-पत्र, Comprehensive Insurance third Party and Occupants के साथ अन्य प्रासंगिक लाइसेन्स/Permit जो DTO एवं अन्य वैधानिक संस्था द्वारा व्यवसायिक परिचालन के

लिए आवश्यक हो, होना चाहिए तथा उसका नवीकरण अनुबंध की समाप्ति की तिथि के पूर्व होनी चाहिए।

12. यह सुनिश्चित हो कि वाहन के विद्युत कनेक्शन, लाईट, हॉर्न, मोड़ सूचक लाईट, एयर कंडीशनर एवं वाहन के अन्य उपकरणीय सिस्टम अच्छी स्थिति में हो तथा समय–समय पर इसकी जाँच होनी चाहिए जिससे विभाग को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
13. वाहन को विभाग/पदाधिकारी/कर्मी द्वारा बताये गये नियत स्थान पर खड़ा होना चाहिए। यदि वाहन को पेट्रॉल भरवाने, रिपेयरिंग इत्यादि के लिए बाहर ले जाने की जरूरत हो तो सेवा प्राप्तकर्त्ता को जानकारी में देकर ही ले जाना होगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह माना जायेगा कि उस समय वाहन सेवा प्राप्तकर्त्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया एवं इसके लिए वाहन को आपूर्तिकर्त्ता पर दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है।
14. लॉग बुक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये फॉरमेट में Maintain करना पड़ेगा।
15. सफल निविदादाता को 50,000/–रू0 का Performance Guarntee उद्योग मित्र के Favour में जमा करना होगा जो Bank Draft या Bank Guarantee के रूप में होगा। यदि एक से अधिक निविदादाता के साथ एकरारनामा किया जाता है तो प्रत्येक को उक्त के अनुरूप 25000/– की Performance Guarntee जमा करनी होगी।

<u>प्रतिनियुक्त चालक/कर्मी का दायित्व :–</u>

वाहन आपूतिकर्त्ता वाहन पर प्रतिनियुक्त किये जाने वाले चालक एवं कर्मी द्वारा संपादित कार्यों के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे–

1. चालक किसी भी हालत में शराब पीकर एवं अन्य नशे में रहकर कार्य पर उपस्थित नहीं होंगे।
2. चालक एवं कर्मी अपना कार्य विनम्रतापूर्वक संपादित करेंगे एवं दूसरे कर्मी से भी उनका व्यवहार विनम्रतापूर्वक होगा। ऐसा नहीं होने पर प्रतिनियुक्त चालक/कर्मी पर संविदा की शर्तों के अनुसार दण्ड अधिरोपित किया जायेगा। ऐसी गलती बार–बार दोहराने पर एवं निम्नांकित व्यवहार के कारण सेवा से मुक्त कर दिया जायेगा।
   i. कार्यावधि के दौरान चालक/कर्मी का कर्त्तव्य से इंकार करना यदि, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी या विभाग द्वारा सूचित किया जाता हो।
   ii. असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करना।
3. चालक के पास एक मोबाइल, वैध नम्बर के साथ होना चाहिए जिससे विभाग/पदाधिकारी कभी भी संपर्क कर सकते हैं।
4. किसी भी कारणवश चालक का मोबाइल नंबर बदली होता है तो इसकी सूचना वाहन आपूतिकर्त्ता द्वारा विभाग को तुरन्त दी जानी होगी।

5. चालक अपनी कार्यावधि के दौरान हमेशा विभाग/संबंधित पदाधिकारी के संपर्क में बने रहेंगे।

6. प्रतिनियुक्त चालक के पास वाहन चालन का वैद्य लाईसेन्स होना जरूरी है।

7. चालक साफ–सुथरी वर्दी पहनेंगे, यदि विभाग द्वारा नियत रंग की वर्दी पहनने का आदेश किया जाए तो उसका अनुपालन करेंगे।

8. अतिथियों के साथ अनावश्यक बात–चीत एवं कार्यचालन के समय मोबाइल का उपयोग स्वीकार्य नहीं होगा। आकस्मिक स्थिति में चालक आदेश लेकर वाहन किनारे खड़ा कर मोबाइल का उपयोग कम–से–कम समय के लिए कर सकते हैं।

9. विभाग द्वारा जैसे ही चालक को किसी अतिथि के समक्ष उपस्थित होने या उन्हें Attend करने का निदेश किया जाता है, तो चालक अतिथि को अपने मोबाईल नम्बर एवं वाहन नंबर की सूचना फोन कर या SMS कर तुरन्त देंगे। मोबाईल एवं SMS पर होने वाला खर्च वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

10. चालक एवं वाहन को तुरन्त–तुरन्त बदली नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे किसी होने वाले बदलाव की सूचना पूर्व में ही वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा दी जानी चाहिए।

नियमों का अनुपालन एवं कर :–

1. किराया चार्ज में सभी इंधन खर्च, अनुरक्षण कल–पूर्जों सहित एवं चालक तथा कर्मी का वेतन, बीमा का प्रीमियम, सड़क टैक्स सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर वाहन पर लगने वाला कर का भुगतान विभाग द्वारा वास्तविक भुगतान रसीद के आधार पर किया जायेगा।

2. वाहन आपूर्तिकर्त्ता प्रतिनियुक्त वाहन का व्यापक बीमा थर्ड पार्टी असीमित रिस्क के साथ लेना होगा। विभाग किसी भी दुर्घटना, आम जनता एवं थर्ड पार्टी को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

3. वाहन आपूर्तिकर्त्ता थर्ड पार्टी द्वारा किया गया दावा/वाहन दुर्घटना में वाहन पर सवार विभाग के कर्मी को होने वाले नुकसान के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।

4. उद्योग मित्र चालक द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना/अन्य किसी भी नियमों/अधिनियमों का पालन चालक तथा वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा नहीं किया जाना, के लिये जिम्मेवार नहीं होगा। चालक एवं वाहन आपूर्तिकर्त्ता मोटर वाहन कानून के नियम एवं अधिनियम का पूर्णरूपेण अनुपालन करेंगे तथा वर्त्तमान एवं भविष्य में आने वाले सभी नियम/अधिनियमों का पालन करेंगे। किसी भी त्रुटि के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

5. वाहन आपूर्तिकर्त्ता को सभी लागू श्रम कानूनों का पालन करना होगा। वाहन आपूर्तिकर्त्ता के कर्मी/चालक उद्योग मित्र के कर्मी नहीं माने जायेंगे। अतः उपर्युक्त नियमों का पालन करना वाहन आपूर्तिकर्त्ता की जिम्मेवारी होगी।

6. चालक के द्वारा किसी भी तरह की चोरी, दुर्व्यवहार इत्यादि के लिए वाहन आपूर्तिकर्त्ता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

7. संविदा अवधि के दौरान यदि वाहन को आरक्षी/मोटर वाहन अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी द्वारा जब्त किया जाता है या रोक रखा जाता है तो इसकी जिम्मेवारी वाहन आपूर्तिकर्त्ता की होगी। ऐसी स्थिति में वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था प्रतिनियुक्त वाहन के अनुरूप या इससे उच्च श्रेणी का वाहन उद्योग मित्र को बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उपलब्ध कराया जायेगा।

8. उद्योग मित्र द्वारा वाहन को कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किये जाने की स्थिति में वाहन पर उद्योग मित्र के कर्मी के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को ले जाना प्रतिबंधित होगा। वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा यात्रियों की सुरक्षा, चालक की अनदेखी, तेज गति एवं अनियमित चालन, खराब ब्रेक/ब्रेक फेल के विरूद्ध सुनिश्चित की जायेगी।

9. वाहन आपूर्तिकर्त्ता आपूर्ति किये गये वाहन को किसी भी स्थिति में विभाग के निर्देश के बिना किसी अन्य कार्य हेतु प्रयोग नहीं करेंगे। जितने दिन के लिए ऐसा करते पाये जायेंगे उससे दोगुने दिन लिए Pro-Rata Basis पर मासिक भाड़ा में से दण्ड स्वरूप राशि की कटौती की जायेगी।

10. प्रतिदिन विभाग द्वारा निर्देशित स्थान पर वाहन के पहुँचने पर परिचालन हेतु कि0 मी0 की गणना आरंभ कर विभाग द्वारा कार्य समाप्त होने के उपरान्त वाहन को रात्रि ठहराव हेतु जाने का निदेश प्राप्त होने तक ही परिचालित कि0मी0 की गणना की जायेगी। किसी भी स्थिति में शाम को कार्यस्थल से रात्रि ठहराव स्थल पर वाहन को ले जाने एवं सुबह रात्रि ठहराव स्थल से कार्यस्थल तक पहुँचने में परिचालित यात्रा का भुगतान उद्योग मित्र द्वारा नहीं किया जायेगा और न ही उसे लॉग बुक में अंकित किया जायेगा।

11. वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा चालक को राज्य मोटर वाहन अधिनियम (अद्यतन संशोधित) के आलोक में वर्दी एवं फोटो पहचान पत्र अपने खर्च पर उपलब्ध कराया जायेगा।

12. उद्योग मित्र की मांग पर वाहन आपूर्तिकर्त्ता वाहन Tracking System उपलब्ध करायेंगे एवं यात्रा का रिकॉर्ड/डाटा आगमन से प्रस्थान तक माईलेज के साथ उपलब्ध करायेंगे। माईलेज की गिनती यात्रा आरंभ स्थान से की जायेगी न की कोई अतिरिक्त स्थान से।

13. वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा बिल जो नियमों के आलोक में हो समर्पित किया जायेगा एवं उद्योग मित्र वाहन आपूर्तिकर्त्ता को बिल की राशि में, यदि दण्ड स्वरूप कोई कटौती किया जाना आवश्यक हो, उसकी कटौती करते हुए भुगतान करेगा।

14. Toll Tax Octroi, Parking Charges and other Statutory Levies जो यात्रा के दौरान प्रभावी हो का भुगतान उद्योग मित्र द्वारा प्रस्तुत बिल/कैश मेमो/मान्य साक्ष्य के आधार पर किया जायेगा।

अतिरिक्त कि0 मी0 का भुगतान

1. यात्रा की दूरी की गिनती यात्रा आरंभ के स्थान से की जायेगी। यात्रा के लिए गैरेज से या गाड़ी को रात्रि में जहाँ रखा जाता है वहाँ से यात्रा आरंभ की दूरी का भुगतान नहीं किया जायेगा।

2. प्रतिदिन नियत समय पर पदाधिकारी/कर्मी जब वाहन को कार्यालय कार्य के लिए व्यवहार करना शुरू करेंगें उस समय का कि0मी0 संख्या लॉग बुक में दर्ज करेंगे एवं शाम को कार्यालय कार्य समाप्त होने के उपरान्त पुनः कि0मी0 संख्या लॉग बुक में दर्ज करके संबंधित पदाधिकारी/कर्मी का हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे।

3. उद्योग मित्र द्वारा प्रतिमाह भुगतान किये जाने वाले राशि में वाहन आपूर्तिकर्त्ता को 1500 कि0मी0 तक के परिचालन के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। 1500 कि0मी0 से अधिक परिचालन होने पर अतिरिक्त कि0मी0 का प्रति मि0मी0 के दर से अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।

4. वाहन आपूर्तिकर्त्ता साप्ताहिक अवकाश एवं राजकीय अवकाश के दिनों में भी आवश्यकता पड़ने पर एवं सूचित किये जाने पर वाहन को परिचालित करने हेतु चालक का वैकल्पिक व्यवस्था रखेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा किसी अन्य माध्यम से वाहन की व्यवस्था की जायेगी एवं ऐसा करने पर जो खर्च आयेगा उस राशि की वसूली वाहन आपूर्तिकर्त्ता को दिये जाने वाले मासिक भुगतान की राशि से की जायेगी।

5. मासिक भुगतान की स्थिति में से नियमानुसार GST-TDS. Income Tax-TDS एवं केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय पर विहित करों की विहित दरों से कटौती की जायेगी।

6. वाहन आपूर्तिकर्त्ता अपने संस्थान के किसी व्यक्ति को नोडल पदाधिकारी नियुक्त करेंगे जिनसे उद्योग मित्र द्वारा संपर्क किया जायेगा।

7. दैनिक भुगतान के आधार पर यदि वाहन लिया जाता है, तो संविदा में तय किये गये प्रति कि0 मी0 के दर से भुगतान किया जायेगा एवं यात्रा के दौरान चालक के लिए खाने एवं रहने के प्रबंध पर होने वाले सभी व्यय वाहन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किया जायेगा।
8. जब भी जितनी संख्या में वाहन की मांग की जायेगी फर्म/संस्था को उतनी ही संख्या में निर्धारित समय के अन्दर मांग के अनुरूप गाड़ी उपलब्ध कराना होगा।

वित्तीय निविदा :

1. निविदादाता को संलग्न Annexure-A में वित्तीय निविदा अंक में एवं शब्द में (दोनों में) अंकित करना होगा। कोई भ्रम होने की स्थिति में शब्द में अंकित निविदा को मान्य कर निर्णय लिया जाएगा।
2. दैनिक भाड़े पर लिए जाने वाले वाहन के संबंध में Minimum Chargeble KM per Day 200 KM होगा।
3. वाहन का मासिक दर से संबंधित निविदा में न्यूनतम दरदाता का निर्धारण 1500 KM प्रति माह पर दिए गए समेकित दर (Without GST) के आधार पर होगा। उक्त निर्धारित न्यूनतम दरदाता को इस निविदा से Discovered 1500 KM के बाद अतिरिक्त प्रति किलोमीटर न्यूनतम दर को भी मानना होगा।
4. यदि दो या दो से अधिक निविदादाता प्रति माह 1500 कि0मी0 दूरी पर समेकित दर समान अंकित करते हैं तो न्यूनतम दरदाता का निर्धारण 1500 कि0मी0 के बाद प्रति अतिरिक्त कि0मी0 के लिए अंकित दर के आधार पर किया जाएगा।
5. उद्योग मित्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर पर सभी निविदादाताओं के बीच आवश्यकता पड़ने पर कार्य का बंटवारा किया जा सकता है।
6. यदि ज्यादा संख्या में वाहन की आवश्यकता हो एवं चयनित निविदादाता उतनी संख्या में वाहन की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हो तो उक्त दर पर किसी भी एजेंसी से कार्यहित में इस निविदा की शर्तों के अनुरूप वाहन की सेवा उद्योग मित्र द्वारा लिया जा सकेगा।
7. किसी वाहन के संबंध में निविदादाता की सेवा असंतोषजनक प्रतिवेदित होने पर इस वाहन के संबंध में प्रतिदिन 500 रू0 तक की राशि दण्ड स्वरूप अधिरोपित की जा सकेगी। बार–बार सेवा असंतोषजनक प्रतिवेदित होने की स्थिति में एकरारनामा को विखंडित किया जा सकेगा तथा Performance Guarantee की राशि जब्त की जा सकेगी।

(14)

Annexure-A

भाड़े पर वाहन आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा का प्रपत्र

वित्तीय निविदा प्रारूप 'क' वाहन का मासिक दर (इंधन एवं चालक सहित)			
क्रमांक	वाहन का विवरण	1500 कि0मी0 प्रति माह (Without GST)	1500 कि0मी0 के बाद प्रति कि0मी0 दर (Without GST)
(क)	इनोवा, टाटा सफारी–ए0सी0	@ Rs...................	@ Rs...............
(ख)	स्कॉर्पियो-- ए0सी0	@ Rs...................	@ Rs...............
(ग)	इंडिगो, स्विफ्ट डिजायर –ए0सी0	@ Rs...................	@ Rs...............

वित्तीय निविदा प्रारूप 'ख' दैनिक भाड़े पर लिये जाने वाले वाहन का दर **Minimum Chageable KM Per Day – 200 KM**		
क्र0	वाहन का विवरण	**Basic Rate Per KM (Without GST)**
(क)	इनोवा, टाटा सफारी–ए0सी0	@ Rs...................
(ख)	स्कॉर्पियो–ए0सी0	@ Rs...................
(ग)	इंडिगो, स्विफ्ट डिजायर–ए0सी0	@ Rs...................

निविदादाता का हस्ताक्षर ....

निविदादाता का नाम...

मुहर...